



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072022-237274
CG-DL-E-13072022-237274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3024]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2022/आषाढ़ 22, 1944

No. 3024]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2022/ASHADHA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

का.आ. 3182(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3512 (अ), दिनांक 23 नवंबर 2016 द्वारा कर्नाटक राज्य में पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 73 और 69) के किलोमीटर 0.00 (टुमकुर) से किलोमीटर 205.000 (शिवमोगा, एमआरएस जंक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् “नियम” कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 73 और 69) के डिजाइन किमी 12.300 से किमी 83.800 (मौजूदा किमी 12.310 से किमी 85.100) मल्लासांद्रा से टिपटुर बाईपास खंड के अंत तक और डिजाइन किमी 83.800 से किमी 155.300 (मौजूदा किमी 85.100 से किमी 151.200) टिपटुर बाईपास के अंत से बिरूर खंड तक सड़क खंड की निवल लंबाई 98.177 कि.मी. और 5.08 कि.मी (जिनकी लंबाई 0.508 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर और बाईपास जिनकी लंबाई 44.315 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर 150% की आधार दर से शुल्क उद्धृति करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे लिए जाने वाला एवं संग्रहित किए जाने वाला शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में रजतद्रिपुरा गांव के निकट एनएच-73 के 49.850 डिजाइन कि.मी. पर	53.398 (बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार लेन के लिए आधार दरों का 100%
कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में लिंगलपुरा गांव के निकट एनएच-73 के 124.960 डिजाइन कि.मी. पर	44.779 (बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार लेन के लिए आधार दरों का 100%

2. उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा:-

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	बाईपास का नाम	शुरुआत	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रु. में)	
कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में रजतद्रिपुरा गांव के निकट एनएच-73 के 49.850 डिजाइन कि.मी. पर	गुब्बी	कि.मी. 18.188 (विद्यमान कि.मी. 18.200)	कि.मी. 25.930 (विद्यमान कि.मी. 26.850)	7.742	86.08	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

	टिपटूर	कि.मी. 71.000 (विद्यमान कि.मी. 72.390)	कि.मी. 81.260 (विद्यमान कि.मी. 82.440)	10.176 (संरचना लंबाई को छोड़कर)	119.97 (संरचना लागत को छोड़कर)	
कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में लिंगलपुरा गांव के निकट एनएच-73 के 124.960 डिजाइन कि.मी. पर	अरासिकेरे	कि.मी. 97.935 (विद्यमान कि.मी. 99.200)	कि.मी. 109.150 (विद्यमान कि.मी. 107.200)	11.053 (संरचना लंबाई को छोड़कर)	135.950 (संरचना लागत को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	बनवारा	कि.मी. 117.100 (विद्यमान कि.मी. 115+100)	कि.मी. 121.620 (विद्यमान कि.मी. 119+500)	4.52	51.18	
	कादुर	कि.मी. 140.000 (विद्यमान कि.मी. 138.000)	कि.मी. 147.125 (विद्यमान कि.मी. 144.100)	7.059 (संरचना लंबाई को छोड़कर)	150.01 (संरचना लागत को छोड़कर)	
	विरूर	कि.मी. 149.225 (विद्यमान कि.मी. 146.200)	कि.मी. 152.990 (विद्यमान कि.मी. 149.025)	3.765	95.34	

- 3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका-4			
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई* (किमी में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में रजतद्रिपुरा गांव के निकट एनएच-73 के 49.850 डिजाइन कि.मी. पर	0.184	1.84	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार लेन के लिए आधार दरों का 100%
कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में लिंगलपुरा गांव के निकट एनएच-73 के 124.960 डिजाइन कि.मी. पर	0.324	3.24	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार लेन के लिए आधार दरों का 100%

विवरण निम्नानुसार है;

(डिजाइन कि.मी. 49.580 पर शुल्क प्लाजा)

क्रम सं.	चेनेज (जरीब-दूरी)		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी. में)
1	16.225	16.325	बड़ा पुल	0.100
2	80.878	80.962	आरओबी	0.084
60 मी. से अधिक कुल संरचना लंबाई				0.184

(डिजाइन कि.मी. 124.960 पर शुल्क प्लाजा)

क्रम सं.	चेनेज (जरीब-दूरी)		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी. में)
1	101.56	101.638	आरओबी	0.078
2	107.578	107.662	आरओबी	0.084
3	140.777	140.843	बड़ा पुल	0.066
4	153.165	153.261	आरओबी	0.096
60 मी. से अधिक कुल संरचना लंबाई				0.324

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर 285.00/- रूपए (दो सौ पिचासी रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

तालिका-5		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास अथवा अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा

खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. शुल्क प्लाजा 01 और शुल्क प्लाजा 02 की टोलिंग लंबाई के लिए परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत क्रमशः रु.1861.21 करोड़ और रु.2006.24 करोड़ है। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू-टीएमके12021 प्रकाशित टोल शुल्क अधिसूचना भारत सरकार/]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2022

S.O. 3182(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways number S.O.3512(E), dated the 23rd November, 2016, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Kilometre 0.00 (Tumakuru) to kilometre 205.000 (Shivamogga, MRS Junction) of old National Highway No. 206 (new National Highway 73 and 69) in the state of Karnataka to the National Highways Authority of India(hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and subsequent amendments (hereinafter referred to as the “Rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 98.177 kms and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 5.08 km (having length of 0.508 km) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 44.315 km costing rupees ten crore or more, on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below of Mallasandra to Tiptur bypass end section from design Km.12.300 to Km.83.800 (existing Km 12.310 to Km 85.100) and from Tiptur bypass end to Birur section from design Km 83.800 to Km.155.300 (existing Km 85.100 to Km 151.200) of old National Highway 206 (new National Highway 73 and 69) in the State of Karnataka and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-Axle Commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four to Six axles)	3.45
Over sized Vehicles (Seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:

TABLE-2		
Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 49.850 of NH-73 near Rajatadripura Village in Tumakuru District of Karnataka	53.398 km [excluding length of bypass (costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four lane of the base rates mentioned in Table 1 above
At Design Km 124.960 of NH-73 near Linglapura Village in Chikkmagaluru District of Karnataka	44.779 km [excluding length of bypass (costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four lane of the base rates mentioned in Table 1 above

2. The following fee shall be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):

TABLE-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in km)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Km 49.850 of NH-73 near Rajatadripura Village in Tumakuru District of Karnataka	Gubbi	Km 18.188 (Existing Km 18.200)	Km 25.930 (Existing Km 26.850)	7.742	86.08	150% of the base rates (1.5 times of 100% of the base rates) mentioned in Table-1 above
	Tiptur	Km 71.000 (Existing Km 72.390)	Km 81.260 (Existing Km 82.440)	10.176 (excluding structure length)	119.97 (excluding structure cost)	
At Design Km 124.960 of NH-73 near Linglapura Village in Chikkmagaluru District of Karnataka	Arasikere	Km 97.935 (Existing Km 99.200)	Km 109.150 (Existing Km 107.200)	11.053 (excluding structure length)	135.950 (excluding structure cost)	
	Banawara	Km 117.100 (Existing Km 115+100)	Km 121.620 (Existing Km 119+500)	4.52	51.18	
	Kadur	Km 140.000 (Existing Km 140.000)	Km 147.125 (Existing Km 147.125)	7.059		

		Km 138.000)	144.100)	(excluding structure length)	150.01 (excluding structure cost)	150% of the base rates (1.5 times of 100% of the base rates) mentioned in Table-1 above
	Birur	Km 149.225 (Existing Km 146.200)	Km 152.990 (Existing Km 149.025)	3.765	95.34	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plazas, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

TABLE-4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 49.850 of NH-73 near Rajatadripura Village in Tumakuru District of Karnataka	0.184	1.84	100% for four lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Design Km 124.960 of NH-73 near Linglapura Village in Chikmagalur District of Karnataka	0.324	3.24	100% for four lane of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details are as under:

(Fee Plaza at Design Km 49.580)

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	16.225	16.325	Major Bridge	0.100
2	80.878	80.962	ROB	0.084
Total Structure Length which are > 60m				0.184

(Fee Plaza at Design Km 124.960)

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	101.56	101.638	ROB	0.078
2	107.578	107.662	ROB	0.084
3	140.777	140.843	Major Bridge	0.066
4	153.165	153.261	ROB	0.096
Total Structure Length which are > 60m				0.324

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs.285/- (Rupees two Hundred and eighty-five only) for the year 2021-22 and is subject to revision every year as per the provisions of said Fee Rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

TABLE-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from the date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-2008 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rs.1861.21 Crs and Rs.2006.24 Crs for the tolling length of Fee Plaza 01 and Fee Plaza 02 respectively. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/PIU-TMK12021PublishTollfeenotificationinGoI/]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.